

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र / REGISTRATION CERTIFICATE

पं. संख्या / REG. NO.- COOP/2021/BHARATPUR/201223

दिनांक / DATE- 13-02-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि BRAJ JAN KALYAN SAMITI जिला BHARATPUR का रजिस्ट्रेशन 'राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) ' के अन्तर्गत आज किया गया है। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **BRAJ JAN KALYAN SAMITI** AT DISTRICT **BHARATPUR** IS REGISTERED UNDER **'THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958) '**. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.



Signature Not Verified



श्री बृज जनकल्याण समिति भरतपुर

<u>संघ विधान पत्र</u>

1. संस्था का नाम

इस संस्था का नाम नाम बृज जन कल्याण समिति है व रहेगा।

(2) पंजीकृत कार्यालय -

इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पुष्प वाटिका कॉलोनी, भरतपुर में रहेगा तथा इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला राजस्थान तक सीमित होगा ।

(3) संस्था का उद्देश्य

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:-

- राज्य व केन्द्र सरकार की चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु उनके नियमानुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, फार्मसी कॉलेज वेटेनरी कॉलेज, पैरा मैडिकल कॉलेज (LAB, XRAY,CT MRI, OT,ECG, ENDOSCOPY, CATH LAB आदि कोर्सेज), फिजियोथैरेपी कॉलेज, अभियांत्रिकी व तकनीकी कॉलेज, कृषि विज्ञान कॉलेज, मेनेजमेन्ट कॉलेज, कम्प्यूटर कोर्सेज व हॉस्पीटल की स्थापना करना।
- 2. राज्य सरकार की चिकित्सा पद्धति हेतु डाइगनोस्टिकस सेन्टर जैसे X-Ray, मैडिकल लैब जाँचे, CT SCAN, MRI SCAN सेन्टरों आदि की स्थापना करना व राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों मे होने वाली जाँचों आदि का कार्य भी करेगी। मैडिकल, नर्सिग व डेन्टल कॉलेज में समाजोपयोगी कार्य करवाना व उन्हें क्रियान्वित कर समाज को राहत पहुँचाना, इसके लिये सभी जाति के विद्यालयों के लिये योग्य शिक्षण विद्यालय व कॉलेज चलाना व सम्पर्ण मानसिक व शारीरिक विकास के लिये छात्रावासी उचित व्यवस्था करना भी समिति का प्रमुख उद्देश्य रहेगा।
- 3. राज्य सरकार की चिकित्सा पद्धति हेतु संस्था स्वयं के अथवा निजी डाइग्नोस्टिक सेंन्टरों से समन्वय/एम.ओ.यू. स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों मे होने वाली जाँचों आदि का कार्य भी करेगी। शुद्ध पानी, पौष्टिक आहार, स्वच्छ शौचालय व गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था, मौसमी बीमारियों धूमपान व शराब से होने वाली बीमारियों इत्यादि के बारे में विस्तार से प्रचार-प्रसार करना।



Ray कोषाध्यक्ष





- 4 भारत में संचालित साईन्स विद्यालयों में साईन्स विषय के विकास व विस्तार में सहयोग करना इसके लिये लेबोरेट्री, वर्कशॉप, पस्तकालय इत्यादि की स्थापना में सहयोग करना । इस विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देना व उनके विकास के लिये चाईल्ड वेलकेयर में सहयोग करना ।
- 5. राज्य, केन्द्र सरकार एवं नगर निकायों से अनुदान लेकर जन कल्याण के विकास कार्यो का संचालन करना ।
- प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, अस्पतालों, अनाथलायों आदि की स्थापना एवं संचालन व उनके लिये नियम व उपनियम निर्धारित करना।
- राष्ट्र एवं राष्ट्र पर आये संकट जैसे बाढ़, अकाल, युद्ध, महामारी में राष्ट्र के कन्धा से कन्धा मिलाते हुये कार्य करना एवं देश की अखण्डता व एकता के लिये कार्य करना।
- 8. महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये समय-समय पर शिविरलगाना व प्रचार-प्रसार करना।
- 9.सुरक्षित प्रसव व गर्भपात के लिये सुविधायें उपलब्ध करवाना, टी.वी. ऑडियों, विडियों, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से इनकी जानकारी गांवों तक पहुंचाना।
- 10. संस्था की पूंजी जिसकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं हो विनियोजित तथा व्यवहार ऐसी प्रतिभूतियों तथा तरीकों से करना जो समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जावे।
- 11. महिला शिक्षा को बढावा देने के लिए महिला विद्यालय, महाविद्यालय, विद्याश्रम खोलना व इनका संचालन करना व करवाना ।
- 12. अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा,, विधी शिक्षा हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, इनका संचालन करना व करवाना तथा अन्य तरह की शिक्षा के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना, इनका संचालन करना व करवाना ।
- 13. संस्था सामाजिक उत्थान के लिए समाज के निराश्रित बालकों, विधवाओं, कुपोषण के शिकार बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए निराश्रित बालगृह, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पोषाहार, बालाहार, आंगनवाड़ी एवं वालवाड़ी, शिशु पालना गृह आदि स्थापित करने का प्रयास करेगी, संस्था साधनहीन वृद्धों, विकलांगों, कोढियों के लिए भोजन वास, आवास, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य संबर्द्धन के लिए पुर्नवास, ग्रहो की व्यवस्था करेगी।
- 14. संस्था बंजर भूमि विकास, पर्यावरण सुधार एवं वृक्षावली प्लान्टेशन आदि के लिए वातावरण

 निर्माण एवं वृक्षारोपण से भूमि को उर्वरा शक्ति बनाये रखने के उपायों आदि के लिए राजस्व

 विभाग , वन एवं पर्यावरण सुधार विभाग आदि की योजनाएं के क्रियान्वन का कार्य करेगी तथा

 पूर्यावरण को सुरक्षित बनाये रखने के लिए वर्णा सुधार विभाग आदि की योजनाएं के क्रियान्वन का कार्य करेगी तथा

 पूर्यावरण को सुरक्षित बनाये रखने के लिए वर्णीकम्पोस्ट खाद का भी निर्माण करेगी ।

 पूर्यावरण को सुरक्षित बनाये रखने के लिए वर्मीकम्पोस्ट खाद का भी निर्माण करेगी ।

 पूर्वा अध्यक्ष
 मंत्री




- 15. संस्था महिलाओं हेत् संक्षिप्त पाठ्यक्रम, डेयरी उत्पादन, महिला जागरूकता शिविर, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र बाल विकास केन्द्र, कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय छात्रावास, आयाओं के प्रशिक्षण केंद्र , आयोजिका प्रशिक्षण केंद्र आदि के संचालन के भी प्रयास करेगी।
- 16. संस्था पशुपालन द्वारा रोजगार पैदा करने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन से रोजगार के साधन पैदा करने का प्रयास करेगी इस हेतु सूअर पालन , गाय पालन, भेड़-बकरी पालन , भैंस पालन , मधुमक्खी पालन ,मुर्गी पालन , मत्स्य पालन आदि कार्यक्रमों के प्रशिक्षण एवं वित्त पोषण करने का प्रयास करेगी ,संस्था आवारा गायों को इकट्ठा कर गौशाला प्रबंधन व संचालन का कार्य करेगी ।
- 17. संस्था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए झाडू बनाना,, व छोटे-छोटे कारखानों का भी कार्य करेगी।
- 18 संथा जनमानसों में आपसी सौहार्द्य तथा धार्मिक आस्था बनायें रखने के लिए मंदिरों आदि का निर्माण एवं संचालन का भी कार्य करेगी।
- 19 राज्य व केन्द्र सरकार की द्वारा संचालित निकायों, निगमों, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, फार्मसी कॉलेज वेटेनरी कॉलेज, पैरा मैडिकल कॉलेज, फिजियोथैरेपी कॉलेज, अभियांत्रिकी व तकनीकी कॉलेज, कृषि विज्ञान कॉलेज, मेनेजमेन्ट कॉलेज, व हॉस्पिटलों आदि के सुचारु रूप से संचालन के लिए मैनपावर उलब्ध करवाने का कार्य भी करेगी।
- 20 संथा आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि लेकर उसपर कृषि ,समाज को रहत पहुँचाने के लिए रोजगारपरक कार्य, अन्य कार्य करेगी।
- 21 संस्था अपने उक्त उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्यों के अनुसार विधिवत कार्य संपादन हेतू समितियों का अलग से गठन कर सकेगी।
- 22 संस्था द्वारा विशेष योग्यजनों , विकलांग जनों के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय , महाविद्यालय तथा छात्रावासों का संचालन करने का काम भी करेगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।











उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में 计操作 白体 部的 आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहमत का निर्णय अन्तिम होगा। संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का साधारण सभाः-8. निर्माण करेंगे। साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-साधारण सभा के 9. अधिकार और कर्त्तव्य :--1-प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2- वार्षिक बजट पारित करना। 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्टार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लाग होगा। in the Aspen 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने 10. साधारण सभा की बैठकें :--पर विशेष सभा अभ्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। PERPIS 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। dd ara 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक भी सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई network with participa आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5- संस्था के 2/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने -----पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। ि निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे। 16 Constraint?

Signature Not Verified











आय-व्यय पर नियन्त्रण करना। विराजक स्थली TREESED वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना। 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था को ओर से हस्ताक्षर करना। 6-े पत्र व्यवहार करना। हा सहित ने गांधि अपरेशीर स्वार क्रिस्टर के 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों। 4-उपमंत्री : 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना। ए एक उने आज कराता जायेला (कालिक लोडी पीलार) 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें। 5-कीषाध्यक्ष : मा साथ के कहा सहस्यों के 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना। कार विरुध का राकेण को राजस्थान संस 🖂 🖉 👘 🖉 २- , दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना। 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। THE REPORT OF LIVES 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना। इ. र इसि (सिर्वाह किरद गण्डात की धात 13 व 14 के ब्लान्स ह 16. संस्था का कोष :-- गुकाले संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :--1- चन्दा 2- . शूल्क 5+15 the far have **国 加朝日 如 向**引 3- अनुदान का पूर्व आधिकार गिंगा व 4- सहायता िन्न न किल्ल कि 5**-**्राराजकीय अनुदान 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित। रखी जायगी। 2- अध्यक्ष/मत्त्री/कोषाध्यक्ष,में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा। 19 ज Kall अध्यक्ष 115



17. कोप सम्बन्धी विशेषाधिकार :	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिव संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-
स्टावेजी मा सम्बं हो और के	1-3117181 200 0129
TT ATTEN TO	2-मन्त्री धन्दासिंहणार् ह.
	3-कोषाष्यक्ष भुन्दास हमार रु.
	उपरोक्त गांश का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेश्व की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा को जायेगी।
। १९७२ माम्या का अंकेक्षण :	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्पिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्पिक लेखे रजिस संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।
19. संस्था के विधान में परिवर्तन :	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20. संस्था का विघटन :–	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पर्ग सम्गन उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवार राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. संस्था के लेखे जोखे	रजिस्ट्रार संस्थाएं 🍠 रतपुर्ने को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच
का निरीक्षण :	करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी
प्रमाणित किया जाता कि	उक्त विधान (नियमावली) जाउन जन कल्याठा (नीमार)
62 cutt 42	समिति/सोसायटो/संस्थान/संस्था को सही व सच्ची प्रति है। व 12 की मिट्राना -> संस्था क्वारा धारिस्तेन, परिवृद्धन
भारत प्रमुख के किसे समीत है।	रांजीचन मर्टम पर इमडी मुचना, 14रिवम है अन रामिप्तार संस्थारी भरतपुर का डी आवग्री। मन्त्री
अध्यक्ष	रामिप्तार संस्थारा भरतपुर का ST आवर्ग) मन्त्री कोषाध्यक्ष
and a second second and a second s	
पूजा	





हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था बृज जन कल्याण समिति के सशपथ पूर्वक घोषणा करते है कि:-

- 1. हमारी प्रस्तावित संस्था बृज जन कल्याण समिति के पंजीयन हेतु कुल 15 आवेदक सदस्य है।
- 2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
- 3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं0 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
- 4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते है, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
- 5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और नही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
- 6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्ताविक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
- 7ेयर्दि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, भरतपुर की पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्व करने का अधिकार होगा।
- 8. भविष्य में उक्त विन्दु सं0 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, भरतपुर क्रो,इस संस्था का पंजीयन रद्व करने का अधिकार होगा।

मंत्री

रियुंग्यं कोषाध्यक्ष

सत्यापन

इस उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करने है कि बिन्दु सं0 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आपने पर रजिस्ट्रार संस्थायें भरतपुर को पंजीयन रह करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है। मंत्री अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

ATTESTED NEN NOTARY PUBLIC BHARATPUR (RAJ.) 01-11-2021

पुजा अध्यक्ष

IDENTIFIED BY

